भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1793

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

डीडीए बाजारों में परिवर्तन की शिकायतें

1793. श्री प्रवीन खंडेलवाल:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार दवारा डीडीए बाजारों में लंबी अवधि वाले पट्टाधारकों और संपत्ति मालिकों की फ्रीहोल्ड कराने संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से फ्री होल्ड परिवर्तन के काम को और अधिक सुलभ और वहनीय बनाने के लिए नीतिगत संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में अनुमानित 45-46 लाख संपत्तियों जिनमें से 70-80 प्रतिशत कथित रूप से अनधिकृत हैं, के मद्देनजर डीडीए विनियम प्रयासों के अनुपालन के साथ-साथ नियमितीकरण प्रयासों को किस प्रकार संतुलित कर रहा है;

(घ) डीडीए दवारा कतिपय विनियामक नियमों से अनभिज्ञ संपत्ति मालिकों को उचित सहायता प्रदान करने के लिए "आम-क्षमा-दान योजना" को कार्यान्वित करने की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डीडीए विशेष रूप से लंबित लीज डीड और सेक्शन प्लान के लिए प्रक्रियाओं को ऑनलाइन प्रणाली में स्थानांतरित करके किस प्रकार प्रभावी दस्तावेजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित कर रहा है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) डीडीए ने सूचित किया है कि ऑनलाइन मोड में इन्टरएक्टिव डिस्पोजल ऑफ लैंड इंफोर्मेशन (आईडीएलआई) सिस्टम पर लंबित संपरिवर्तन मामलों की मासिक आधार पर नियमित निगरानी की जा रही है। डीडीए में आईडीएलआई को संपरिवर्तन मामलों पर शीघ्र कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है। आईडीएलआई सिस्टम से संपरिवर्तन आवेदन करने और

इन मामलों में शीघ्र कार्रवाई की सुविधा मिली है। आवास विभाग में नागरिक सेवा पोर्टल पर इसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है, जो पूर्णत: वेब आधारित ऑनलाइन पोर्टल है।

(ख) डीडीए ने सूचित किया है कि आईडीएलआई सिस्टम और नागरिक सेवा पोर्टल द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से संपरिवर्तन आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकार फ्री होल्ड/संपरिवर्तन की प्रक्रिया अधिक सुगम और प्रयोक्ता के अनुकूल बन गई है, जो आवेदकों के लिए सुविधाजनक है।

(ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.10.2019 के जी.एस.आर.814(ई) के माध्यम से अधिसूचित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019' के अधीन सूचीबद्ध 1731 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण/पुन: बसाने की प्रक्रिया पर दिनांक 08.03.2022 के का.आ.1014(ई) द्वारा अधिसूचित विकास नियंत्रक मानक लागू हैं। डीडीए के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में ऐसे विकासात्मक मानकों के उल्लंघन की निगरानी डीडीए द्वारा की जाती है और समय-समय पर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव डीडीए के विचाराधीन नहीं है।
(ङ) डीडीए ने सूचित किया है कि आईडीएलआई सिस्टम और नागरिक सेवा पोर्टल द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से संपरिवर्तन आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकार फ्री होल्ड/संपरिवर्तन की प्रक्रिया अधिक सुगम हो गई है। आवेदकों को अपेक्षित दस्तावेज इन पोर्टलों पर अपलोड करने होते हैं। इसके अलावा, संपत्ति की स्केन हुई फाइलें भी ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड की जाती हैं

*****